न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 53/2021 (2021/00053) जिला–अजमेर

मेघवाल शिक्षा शोध संस्थान (कायड़) जिला अजमेर जरिये प्रभारी राजकुमार बाघमार पुत्र स्वर्गीय श्री रामलाल बाघमार आयु 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी नगर हाल निवासी 24 ए गणपति नगर, कायड़ रोड तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 06–01–2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 40/2019 बउनवान
मेघवाल शिक्षा शोध संस्थान बनाम राजस्थानर सरकार

––––

उपस्थित–
1. श्री सुमित जैन, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 19–4–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 132 के तहत भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबंदी से आधारभूत जमाबंदी बनाते समय त्रुटिपूर्ण अंकन को दुरूस्त कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–01–2019 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम कायड़ तहसील अजमेर में स्थित वर्किंग आराजी खसरा नम्बर 2047 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा जिसके आधारभूत खसरा नम्बर 3934 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 3935 रकबा 0.60 हैक्टर व खसरा नम्बर 3937 रकबा 0.02 हैक्टर कायम किये गये जिसकी मूल खातेदार धापू बेवा हरिकिशन जाति ढोली थी जिसको नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 29–1–1996 से विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व जमाबंदी में धापू बेवा हरिकिशन के नाम का इन्द्राज हो गया जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी को धापू बेवा हरिकिशन से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 17–5–2003 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 5–6–2003 द्वारा राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज चले आ रहे है किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी से आधारभूत जमाबंदी बनाते समय त्रूटिपूर्ण अंकन का इन्द्राज करते हुए बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई क्षैत्राधिकार नही था ना ही ऐसे अंकन से किसी भी पक्षकार के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माना कि नवीन रिकार्ड भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया है तथा खसरा नम्बर 3934 व 3935 पर मौके पर मेघवाल शिक्षा शोध संस्थान का निर्माण हो रखा है एवं खसरा नम्बर 3937 रकबा 0.02 हैक्टर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 6–1–2021 से निरस्त कर दिया।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय नेइस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया कि तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया कि नवीन रेकार्ड भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया है जिनको मात्र पूर्व में चले आ रहे राजस्व इन्द्राज को ही आगे राजस्व रेकार्ड मेंअमल दरामद करना चाहिए उन्हें किसी भी प्रकार से राजस्व इन्द्राज को बिना सक्षम न्यायालय के परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकार्डमें इन्द्राज करते समय लिपिकीय त्रुटि कारित की गई है या नहीं। तहसीलदार अजमेर ने अपने जवाब में माना है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नया रेकार्ड बनाते समय वर्किंग जमाबंदी में अपीलार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज था। विवादित आरजियात खसरा नम्बर

2047 रकबा 04–14–00 मेघवाल शिक्षा शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट अजमेर द्वारा श्री डी.आर. जोधावत पुत्र श्री कालूराम मेघवाल निवासी अजमेर एवं महासचिव डॉ. अशोक मेघवाल पुत्र श्री बी.आर. मेघवाल निवासी पाल बीछला के नाम दर्ज है और मिलान क्षैत्रफल अनुसार उक्त वर्किंग जमाबी अनुसार खसरा नम्बर 2047 रकबा 04–14–00 के हाल खसरा नम्बर 3934 रकबा 0.14 हैक्टर व खसरा नम्बर 3935 रकबा 0.60 हैक्टर खाता संख्या 1 में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 3937 रकबा 0.02 हैक्टर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा खसरा नम्बर 3934 व 3935 पर मेघवाल शिक्षा शोध संस्थान का निर्माण हो रखा है जबकि प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य सहित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया कि उक्त राजस्व रेकार्ड में फेरबदल के लिए किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही के तहत परिवर्तन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायलय द्वारा परिधि से बाहर मानते हुए अस्वीकार किया जाकर खारिज करने के आदेश पारित किये है वह अधिनियम की मूल मंशा के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–01–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता है। खसरा नम्बर 3937 रकबा 0.02 हैक्टर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है जिसे अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके संबंध में हक अधिकार का निर्धारण केवल नियमित राजस्व वाद के जरिये ही प्राप्त किया जाना संभव है। धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थना पत्र समरी कार्यवाही है इसके तहत अपीलार्थी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–01–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व के इन्द्राज को ही यथावत रखना चाहिए था बिना सक्षम अधिकारी के राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी विवादित आराजिात का रेकार्डेड खातेदार है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार सेटलमेन्ट ऑपरेशन के तहत किये गये गलत इन्द्राज को लैण्ड रेकार्ड

ऑफिसर को सही करने का अधिकार है। अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात की मूल खातेदार धापू बेवा हरिकिशन से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 17–5–2003 का क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 5–6–2003 में अपीलार्थी का नाम बतौर खातेदार कश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वर्किंग जामबंदी से आधारभूत जमाबंदी बनाते समय त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुए बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त आराजी को बिला नाम सरकार दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हलका की रिपोर्ट दिनांक 9–11–2020 में उल्लेखित है कि ग्राम कायड के राजस्व रिकार्ड वर्किंग जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 2047 रकबा 4–4–14 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 140 दिनांक 29–1–1996 से धापू बेवा हरिकिशन जाति ढोली सा0देह गैर खातेदार से खातेदारी का इन्द्राज हुआ था तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 5–6–2003 जरिये बेचान से धापू बेवा हरिकिशन ढोली खातेदार के स्थान पर श्री मेघवाल शिक्षा शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट अजमेर द्वारा अध्यक्ष डी. आर जोधावत पुत्र श्री कालूराम मेघवाल निवासी दयानन्द कॉलोनी नामामदार अजमेर एवं महा सचिव डॉ. अशोक मेघवाल पुत्र श्री बी.आर. मेघवाल निवासी पाल बीछला का अंकन किया हुआ है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 2047 के हाल खसरा नम्बर 3934 रकबा 0.14 हैक्टर व 3935 रकबा 0.60 हैक्टर खाता संख्या 1 में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 3937 रकबा 0.02 हैक्टर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है। खसरा नम्बर 3934 व 3935 में मौके पर मेघवाल शिक्षा शोध संस्थान का निर्माण हो रखा है। विवादित आराजियात जब पूर्व में धापू बेवा हरिकिशन के नाम थी जिसको खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था तथा उक्त आराजात को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से 17–5–2003 को अपीलार्थी द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 5–6–2003 स्वीकृत भी हो चुका था तो फिर भू–प्रबन्ध विभाग को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 3937 रकबा 0.02 हैक्टर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किस आदेश से की गई है, का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–01–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2019 बउनवान मेघवाल शिक्षा शोध संस्थान बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर विधिसम्मत नहीं होने निरस्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19–4–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर